

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24(07) लेखा-ए- अनुदान/अव/आकाशि/2017/ ९६२

दिनांक : ०३.०६.२०२२

संगठन सचिव,
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ कुल,
उदयपुर-313001 (राजस्थान)।

विषय :- अवमानना याचिका 585/2012 के क्रम में सूचना/रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भ :-विभाग का पत्र क्रमांक 2015.दिनांक 04.01.2018, 2355 दिनांक 04.04.2018, 2577 दिनांक 04.05.2018, 2659 दिनांक 16.05.2018, 02 दिनांक 16.06.2018, 04 दिनांक 23.06.2018, 24 दिनांक 16.08.2018, 39 दिनांक 05.09.2018 एवं 62 दिनांक 16.10.2018, 73 दिनांक 06.11.2018, 84 दिनांक 26.11.2018, 116 दिनांक 27.12.2018 एवं 144 दिनांक 30.01.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवमानना याचिका संख्या 585/2012 जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ बनाम वीनू गुप्ता व अन्य के प्रकरण में संस्था के अधीन कार्यरत चारों महाविद्यालयों के के सम्बन्ध में संस्था के द्वारा प्रस्तुत दावों की जॉच/सत्यापन हेतु सूचना/रिकॉर्ड चाहा गया था, जो कि आदिनांक तक आप द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त प्रकरण में मा० न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 19.05.2022 को निर्णय पारित किया गया है कि "-- we direct the respondent-authority to submit before the court the check list of verification advised along with their comment as to which particular information has not been supplied by the petitioner institution. This check list shall be submitted within three weeks....."

उक्त निर्णय के क्रम में लेख है कि संलग्न चैकलिस्ट के अनुसार वांछित दस्तावेज/रिकॉर्ड/सूचना 03 दिवस में विभाग को उपलब्ध करावें, ताकि मा० न्यायालय के निर्णय की पालना में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

- संलग्न : 1. वांछित दस्तोवज़ों के सम्बन्ध में चैकलिस्ट की प्रति—
 2. पूर्व भुगतान की सूचना के सम्बन्ध में निर्धारित फॉर्मेट।
 3. विभाग के परिपत्र संख्या 2049 दिनांक 08.01.2018 की प्रति।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक एफ 24(07) लेखा-ए- अनुदान/आकाशि/2017/ ९६३- ९६४

दिनांक : ०३.०६.२०२२

प्रतिलिपि :

- उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को यू०८०० नोट क्रमांक 275 दिनांक 20.05.2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.2022 के क्रम में संस्था से वांछित दस्तावेजों/रिकॉर्ड के सम्बन्ध में चैकलिस्ट

क्र.सं.	वांछित दस्तावेज/रिकॉर्ड	विवरण
1	विभाग के परिपत्र संख्या 2049 दिनांक 08.01.2018 में (I) देय राशि के सम्बन्ध में बिन्दु 1 से 4 (बिन्दु 2 एवं 6 में उल्लेखित 7 कार्मिकों के सम्बन्ध में) तथा (II) आहरित राशि के सम्बन्ध में क्रम संख्या 1 से 6 की सूचना (समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में)	सूचना/रिकॉर्ड अप्राप्त
2	निम्न पूर्व कार्मिकों (Non-RVRES) के मूल सेवाभिलेख (सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली) उपलब्ध कराये जाने हैं :— 1. रियाज हुसैन (माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महा. उदयपुर) 2. ठाकुरी डोडेजा (साहित्य संस्थान, उदयपुर) 3. द्वारका नाथ बंसल (साहित्य संस्थान, उदयपुर)	अप्राप्त
3	अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में चारों महाविद्यालयों के निम्नानुसार अन्तिमीकरण ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों तथा चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित आय—व्यय लेखे तथा बेलेन्स शीट की प्रतियोः— 1. माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय— वर्ष 2001–02, 2003–04 से 2007–08 तथा 2009–10 से 2011–12 के अन्तिमीकरण ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों तथा वर्ष 2001–02 तथा 2011–12 के जनरल फण्ड तथा वर्ष 1998–99 से 2011–12 तक छात्रकोष के आय—व्यय लेखे एवं बेलेन्स शीट की प्रतियों। 2. साहित्य संस्थान महाविद्यालय— वर्ष 2004–05 से 2006–07 तथा 2009–10 से 2011–12 के अन्तिमीकरण ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों तथा वर्ष 2004–05 के जनरल फण्ड तथा वर्ष 1998–99 से 2011–12 तक छात्रकोष के आय—व्यय लेखे एवं बेलेन्स शीट की प्रतियों। 3. उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स— वर्ष 2001–02, 2003–04 से 2006–07 तथा 2010–11 व 2011–12 के अन्तिमीकरण ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों तथा वर्ष 2000–01 के छात्रकोष के आय—व्यय लेखे एवं बेलेन्स शीट की प्रतियों। 4. विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महा० अजमेर— वर्ष 2010–11 व 2011–12 के अन्तिमीकरण ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों तथा वर्ष 1998–99 से 2004–05 तथा 2006–07 से 2011–12 तक छात्रकोष के आय—व्यय लेखे एवं बेलेन्स शीट की प्रतियों।	सूचना/रिकॉर्ड अप्राप्त
4	संस्था/विभाग के द्वारा कार्मिकों को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की निर्धारित प्रारूप में सूचना। संलग्न : फॉर्मेट	अप्राप्त
5	विजय सिंह पथिक महाविद्यालय, अजमेर के पूर्व कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मदवार व माहवार सत्यापित दावा। (केवल 16 कार्मिकों का प्राप्त)	शेष कार्मिकों का माहवार दावा अप्राप्त
6	राज्य सरकार में समायोजित निम्न कार्मिकों के मूल सेवाभिलेख अप्राप्त : 1. श्री नाहर सिंह राजपूत 2. श्री सुनील जोशी 3. श्री चुन्नीलाल गायरी 4. श्री देवीदत्त शर्मा	मूल सेवाभिलेख अप्राप्त (इस सम्बन्ध में आर.वी. आर.ई.एस. शाखा को पत्र जारी किया जा चुका है।)

संस्था का नाम

(विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में किये गये भुगतान का सूचना)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

मॉक : एफ.24()लेखा-ए/अनु/आनंदशि/2011-12/१०४९

दिनांक : ०८/०१/२०१८

:: परिपत्र ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0 अवमानना याचिका संख्या 640/2017 द्वा भवन सोसायटी, उदयपुर बनाने राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-11-17 में प्रदत्त निर्देशों की लाना में पूर्व अनुदानित संस्थाओं के दावों के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा वांछित रिकॉर्ड के निर्धारण बाबत राज्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 05-01-2018 को बैठक आयोजित हुई जैसमें सचिव, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर के अलावा 05 अन्य पूर्व अनुदानित संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी सुना गया।

बैठक में डी0बी0 रपेशल लालील राज्या 663/2015 राजस्थान राज्य बगाम मै0क0 श्रीभगवानदास गोदी कॉलेज व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06-11-2015 में निर्धारित की गई प्रक्रियानुसार तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नेयमों के परिषेक्य में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तूर-ड्रॉन स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई राशि के सत्यापन हेतु विभाग द्वारा पूर्व में अपेक्षित 13 विन्दुओं में वर्णित अभिलेख/रिकॉर्ड के कम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 30-11-17 को भी दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विवाद-विमर्श उपरांत अपने नियमुक्त 10 विन्दुओं में वर्णित अभिलेख/रिकॉर्ड आवश्यक मानते हुए सम्बन्धित पूर्व अनुदानित संस्थाओं द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय दिया गया :-

(I) देय (Due) राशि के सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख/रिकॉर्ड

क्र.सं.	वांछित अभिलेख
01	RVRES, 2010 में समायोजित नहीं होने वाले कार्मिकों की मूल सेवा पुस्तिकाएँ व व्यक्तिगत पत्रावलियाँ।
02	शैक्षणिक कार्मिकों को २०११-१२ के सम्बन्ध में रक्षणात्मक समिति के कार्यदाती विवरण एवं तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतियाँ जिनके आवार पर सेवा पुस्तिकाओं में प्रविस्तियाँ की जारी हैं।
03	अशैक्षणिक कर्मचारियों को ९, १८, २७ वर्षीय वयनित वेतनमान दिनांक ०१-०४-१९९३ से रवीकृत करने के संशोधित आदेश एवं शायुक्तालय से अनुमोदित वेतन स्थिरीकरण प्रपत्रों की प्रतियाँ।
04	पाँचवें एवं छठे वेतनमान के वेतन स्थिरीकरण प्रपत्रों की स्पष्ट रूप से पढ़नीय एवं सत्यापित प्रतियाँ।

(II) आहरित (Drawn) राशि के सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख/रिकॉर्ड

क्र.सं.	वांछित अभिलेख
01	संस्था द्वारा दस्तूर-ड्रॉन स्टेटमेन्ट में दर्शाई गई सकल (Gross) एवं कटौतियों के बाद शुद्ध (Net) भुगतान की गई राशि के सत्यापन हेतु सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन विलो/बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक/तत्सम्बन्धित कैशड्रुप ये से उपलब्धतानुसार किसी एक की प्रमाणित प्रतियाँ।
02	RVRES, 2010 में समायोजित कार्मिकों को जारी की गई एल०पी०सी० की प्रमाणित प्रतियाँ।
03	कार्मिकों के वेतन से काटी गई पी०एफ० सर्वि जमा कराने के चालान की प्रमाणित प्रति।
04	कार्मिकों के मासिक भुगतान में से काटी गई आयकर राशि कटौती शिल्डबूल की प्रति।
05	यदि संस्था द्वारा अपनी अंसदान राशि का भुगतान कर दिया है तो कार्मिकों की प्रमाणित प्राप्ति रसीद अथवा बैंक स्टेटमेन्ट।
06	अन्तिमीकरण की एरियर वर्गी राशि की मौंग किये जाने की स्थिति में अन्तिमीकरण के एरियर की राशि के सत्यापन हेतु अंकेश्वरी वार्षिक आय-व्यय लेखे तथा बैलेन्स शीट तथा पूर्व में हुए अन्तिमीकरण स्टेटमेन्ट की प्रतियाँ।

अतः उपरोक्त 10 विन्दुओं में वर्णित अभिलेख/रिकॉर्ड विभाग द्वारा बाहे जाने पर सम्बन्धित पूर्व अनुदानित संस्थाओं द्वारा अविलम्ब उपलब्ध करवाये जायें ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना शुरू की जा सके।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
शासन सचिव, उच्च राशि, राजस्थान

क्रमांक : एफ.24(71)लेखा-ए/अनु/आकाशि/2017/१०५०-२१२९ दिनांक : ०८/०१/२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. अतिरिक्त जायुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
06. संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएँ), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
07. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
08. लेखाधिकारी (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
09. सचिव, मैट्रिक्स, समस्त पूर्व अनुदानित महाविद्यालय, राजस्थान।
10. रक्षित पत्राली।

11. ~~वैष्णव उपासी को निपटाइ कर देते~~

~~आमुखत, कॉलेज शिक्षा एवं
शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान~~